फोन नं. (कार्यालय.) 07692-220444
(नि.) 07692-220331
(फैक्स) 07692-220990

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ,सिवनी (म.प्र)

क्रमांक / 2191 / नो.अ. / काविड–19 / 2020 सिवनी, दिनांक– 25 मार्च, 2020

– / / आदेश / / –

(पुलिस एक्ट 1861 की धारा 17 के अंतर्गत)

जिले में कोरोना (कोविड–19) वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लॉक डाउन की स्थिति में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु निम्नांकित विवरण के अनुसार जिले की तहसीलों में कार्यरत ग्राम कोटवारों को विशेष पुलिस अधिकारी घोषित किया जाता है:–

स. क्रं.	विभाग / कार्यालय का नाम	विशेष पुलिस अधिकारी घोषित करने हेतु प्रस्ताव सूची में सम्मिलित कार्मिकों का पदनाम	विशेष पुलिस अधिकारी घोषित करने हेतु कार्मिकों की कुल संख्या
1	तहसील, केवलारी	कोटवार	232
2	तहसील, घंसौर	कोटवार	129
3	उपतहसील कहानी	कोटवार	01
4	तहसील, सिवनी	कोटवार	209
5	तहसील, धनौरा	कोटवार	46
6	तहसील, बरघाट	कोटवार	142
7	तहसील, लखनादौन	कोटवार	214
8	तहसील, कुरई	कोटवार	137
9	तहसील, छपारा	कोटवार	131
		योग	1241

सिवनी जिले में सामान्य रूप से उपलब्ध पुलिस बल, कोरोना (कोविड–19) वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सम्पूर्ण सिवनी जिले की सीमा क्षेत्र में लिए शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त नहीं हैं तथा पुलिस बल की कमी से कोरोना (कोविड–19) वायरस के संक्रमण की रोकथाम के के लिये जिले में लॉक डाउन की स्थिति के दौरान शांति भंग होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः मैं, प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी, एतद् द्वारा पुलिस एक्ट 1861 की धारा 17 के तहत जिले की तहसीलों के ग्रामों में कार्यरत ग्राम कोटवारों को सिवनी जिले की स्थानीय सीमाओं में लॉकडाउन की अवधि के दौरान दिनांक 25.03.2020 से 14.04.2020 तक कुल 21 दिनों के लिए विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करता हूँ।

(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–सिवनी

पृ. क्रमांक/ 2190A/नो.अ./काविड–19/2020 सिवनी, दिनांक–25 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :–

1. कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला मण्डला/बालाघाट/जबलपुर छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग सिवनी/कुरई/बरघाट/केवलारी/लखनादौन/घंसौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुख की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. तहसीलदार/नायब तहसीलदार (सर्व) जिला सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. समस्त तहसील स्तरीय/विकासखण्ड स्तरीय कार्यालय प्रमुख जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. सहायक संचालक जन संपर्क सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–सिवनी